बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 27/15–16

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – अंचल कार्यालय, दिघवारा जिला, सारण।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 2011–12 एवं 12–13

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल – जिला पदाधिकारी सारण, छपरा।

(ङ) अंकेक्षित अविध के लेखा पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

(1) श्री अयोध्या नाथ शुक्ल
अंचलाधिकारी — दि0 1.4.2011 से 19.7.12 (पू0) तक।

(2) श्री बलवन्त कुमार सफैयार
अंचलाधिकारी — दि0 19.7.12(अं0ल0) से 19.02.14 तक।

(3) श्री राज किशोर चौधरी
प्र0 प्रधान लिपिक — 1.4.2011 से 16 जनवरी 2013 तक।

(4) श्री राम प्रवेश कुमार दास
प्र0 प्रधान लिपिक — 17 जनवरी 2013 में 31.3.2013 तक।

(5) श्री मनीष कुमार (नाजिर) — 1.4.11 से सितम्बर 11 तक।

(6) श्री सत्य प्रकाश (नाजिर) — अक्टूबर 2011 से अद्यतन्।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/कर्म0 का नाम एवं पदनाम –

1. श्री बलबन्त कुमार सफैयार –अंचलाधिकारी

2. श्री अजय कुमार सिन्हा – अंचलाधिकारी
3. श्री राम प्रवेश कुमार दास – प्रधान लिपिक
4. श्री सत्य प्रकाश – नाजिर
5. श्री विनय कुमार – लिपिक

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम –

1. श्री संजय श्रीवास्तव , व0 अं0– 2
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दूबे , व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – 23.01.2014

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 15.07.2015

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 40 कार्य दिवस।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची – परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के आदेश संख्या एवं तिथि – विभागीय ज्ञापांक 3286 एफ0 ए0 दिनांक – 15.9.60

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – भूराजस्व संग्रहण हेतु कार्यालय को 8 हल्कों में विभाजित किया है इसके अन्तर्गत 10 ग्राम पंचायत आते हैं। इस कार्यालय का मुख्य कार्य माँग तय करना तथा कर वसूली करना हैं। इसमें सैरात तथा नवरात्रि में आमी मेला के अवसर पर आवंटित भूमि से प्राप्त कर के रूप में भी राशि वसूल करना हैं। सरकारी भूमि का अतिक्रमण न हो इसका दायित्व भी इसी कार्यालय के ऊपर हैं। अगलगी, शीत लहर, भूखमरी आदि से संबंधित सहाय्य कार्य ही इसी कार्यालय के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि भी इसी कार्यालय के माध्यम से निर्गत किए जाते हैं। चौकीदार एवं दफादार के भी कार्य का नियंत्रण एवं वेतन भुगतान का कार्य इसी कार्यालय के माध्यम से किया जाता हैं।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर अंकित हैं।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :– शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– कार्यालय द्वारा न तो प्रतिवेदन ही उपलब्ध कराया गया न ही अनुपालन की स्थिति की कोई जानकारी दी गई।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनुपालन की स्थिति नहीं बतलाया जा सकता।

(3) **वित्तीय समीक्षा :–**

(i) आवंटन की स्थिति में :– क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई हैं। – नहीं। अंकेक्षित लेखा वर्ष 2011–12 एवं 12–13 के परिशिष्ट "ख" पर अंकित आवंटन एवं व्यय विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्थापना एवं अन्य मदों में प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत ही राशि निकासी की गयी थी तथा शेष बचत राशि का प्रर्त्यापण दिखाया गया था परन्तु प्रत्यार्पण पत्र अंकेक्षण में अनुपलब्ध रहा। साथ ही परिशिष्ट "ग" के रूप में वर्षवार राजस्व से सम्बन्धित माँग एवं ग्रहण विवरणी संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि वर्ष 2011–12 में राजस्व के वसूली का प्रतिशत 80.91 प्रतिशत एवं 2011–12 में मात्र 15.63 प्रतिशत पाया गया जो निराशजनक स्थिति का धोतक हैं। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान उपर्युक्त प्रत्यार्पित राशि का समीक्षा एवं राजस्व संग्रहण की धीमी गति में सुधार हेतु आवश्यक कारवाई करने के लिए आकृष्ट किया जाता हैं।

(ii) अनुदान की स्थिति में :– क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया हैं। – नहीं।

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था – नहीं।

(iv) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नगद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति :– विभागीय पत्रांक 503 वि० अं० पटना दिनांक 29.1.76 के आलोक में मौखिक एवं लिखित अनुरोध के बाबजूद भी कार्यालय के द्वारा अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दिनांक 23.1.2014 के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। न तो अतः शेष का विवरण ही रोकड़ पुस्त में अंकित नहीं किया जा सका। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आवश्यक कारवाई हेतु आकृष्ट किया जाता हैं।

(4) **अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण :–**
कार्यालय के स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची परिशिष्ट 'घ' पर अंकित हैं।

भाग–2

~~(5) कुल रू0 1053.40 वसूली योग्य :–~~

(5) **लगान रसीद एवं रोकड़ पंजी के जोड़ में गलती कर 17 रू0 कम जमा किया जाना वसूली योग्य :–**

हल्का सं0 –2, कर्मचारी श्री प्रकाश सिंह के द्वारा प्राप्त किए गए राजस्व की जाँच में पाया गया कि रसीद सं0 873957 से 873967 तक के जमा का कुल योग 211 रू0 होता है जबकि पंजी 3A में रशीद सं0 873967 तक का कुल योग 194 रू0 ही दर्शाया गया हैं। अर्थात रू0 211 – रू0 194 – रू0 17 कम दर्शाया गया एवं जमा किया गया हैं। निर्गत आपत्ति का अनुपलान संतोषप्रद नहीं था। अतः रू0 17.00

संबंधित कर्मचारी श्री प्रकाश सिंह से वसूल कर तत्काल कोषागार में जमा किया जाय साथ ही इस राशि की प्रविष्टि 3 ए पंजी एवं रोकड़ पंजी में भी किया जाए।

(6) रू0 648.00 डीजल क्रय की प्रविष्टि गाड़ी लौग बुक में नहीं आपत्तिन्तर्गत :–

वर्ष 2011–12 के अभिश्रवों की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि विपत्र सं0 40/11–12 से रू0 20326.00 के अन्तर्गत अभिश्रव सं0 119 द्वारा 20 लीटर डीजल @ 43.70 रू0 868.00 का भुगतान किया गया है जबकि लॉग बुक में 10 लीटर ही दर्शाया गया हैं। इसी प्रकार अभिश्रव सं0 120 में 5 लीटर डीजल @ 43.70 रू0 217.00 का भुगतान दर्शाया गया है जबकि लॉग बुक में कोई भी डीजल दर्ज नहीं है पूर्ण विवरणी निम्नवत् हैं।

अभिश्रव सं0	डीजल लीटर में	दर	वास्तविक भुगतान की गई राशि	भुगतान की तिथि	लॉग बुक में दर्ज डीजल	भुगतान योग्य राशि	अन्तर वसूली योग्य
119	20	43.70	868.00	21.2.12	10 ली0	437.00	431.00
120	5	43.70	217.00	21.2.12	0 ली0	0.00	217.00
							648.00

उपर्युक्त क्रय डीजल की लॉग बुक में प्रविष्टि नहीं रहने के फलस्वरूप ईंधन के वास्तविक व्यय प्रश्नगत हो जाता हैं। उच्चाधिकारी द्वारा प्रविष्ट डीजल का मात्रा के वास्तविक खपत को समीक्षा कर अनुपालन प्रेषित किये जाने तक तत्काल इसे आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता हैं। अन्यथा की स्थिति में 648.00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर कोषागर में जमा किया जा सकता हैं की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(7) राजस्व की राशि रू0 388.40 कम जमा किया जाना वसूली योग्य :–

हल्का सं0 –4, राजस्व कर्मचारी मो0 सोहराब अली (प्रभारी अचंल निरीक्षक) के लगान रसीद, पंजी 3A एवं पंजी 3AA के जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में कुल वसूली गई राशि कुल रू0 86388.40 थी परन्तु नाजिर रसीद सं0 350376 से 80000.00 एवं नाजिर रसीद सं0 350383 से 6000.00 अर्थात् 80000+6000=86000 रू0 ही जमा किया गया। अतः वर्ष 2011–12 में रू0 86388.40– रू0 86000.00 = रू0 388.40 कम जमा किया गया।

अतः उपरोक्त राशि रू0 388.40 राजस्व कर्मचारी मो0 सोहराब अली प्रभारी अंचल निरीक्षक वसूली कर नियमानुसार राशि को पंजियों में संधारित कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाय इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को दी जाय। इस प्रकार उप कंडिका (क+ख+ग) = 17+648+388.40 = 1053.40 की वसूली कर कोषागार में जाम किया जाय।

(8) हल्का सं0 8 के लगान रसीद वही एवं रोकड़ पुस्त प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण संग्रहित राशि एवं जमा का सत्यापन नहीं प्रशासी विभाग द्वारा जाँच एवं आवश्यक कारवाई अपेक्षित :–

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई लगान रसीद वही का सत्यापन अंचल कार्यालय दिघवारा के लगान रसीद वहीं के भण्डार पुस्त के सत्यापन क्रम में पाया गया कि हल्का सं0 8 के राजस्व कर्मचारी द्वारा निम्न रूपेण लगान रसीद प्राप्त किया गया था।

लगान रसीद वहीं का भण्डार पुस्त पृष्ठ सं0	निर्गत तिथि	लगान रसीद संख्या	राजस्व कर्मचारी का नाम	हल्का सं0	अभ्युक्ति
18	13.4.11	344151 से 344200 344101 से 344150	नन्द किशोर राय	8	
18	10.6.11	287951 से 288000 224051 से 224100 224101 से 224150	"	8	
25	2.5.12	214651 से 214700 214701 से 214750	"	8	
28	29.5.12	214901 से 214950 214251 से 214300	"	8	

सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी श्री नन्द किशोर राय के द्वारा न तो नाजिर रसीद पंजी 3A , 3AA और नही लगान रसीद ही उपलब्ध कराई गई। फलस्वरूप उक्त रसीदों द्वारा लगान रसीद से वसूली एवं जमा का सत्यापन नहीं किया जा सका। उक्त स्थिति में राजस्व राशि के गबन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त स्थिति में प्रशासी विभाग द्वारा उक्त रसीदों द्वारा राजस्व वसूली एवं जमा के वास्तविक स्थिति की जाँच का फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में तदनुसार कारवाई अपेक्षित होगी।

(9) रू0 979697.00 कोषागार में जमा करने योग्य :–

(क) रू0 250697.00 कोषागार में कम जमा किया जान अविलम्ब जमा करने योग्य

शीर्ष 2029 के सहायक रोकड़ पुस्त के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 में नाजिर रसीद के आधार पर रू0 826807.00 सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में दर्शाया गया परन्तु उक्त वित्तीय वर्ष 2012–13 में मात्र रू0 576110.00 ही कोषागार में जमा किया गया तथा रोकड़ पुस्त के अन्त में 31.3.2013 को रू0 250697.00 संवरण शेष के रूप में संचित दिखाया गया था।

इस प्रकार रू0 826807.00 – रू0 576110.00 = रू0 250697.00 कोषागार में कम जमा किया गया। अतः इतनी बड़ी राशि संवरण शेष के रूप में

रखकर वित्तीय वर्ष के अन्त तक भी कोषागर में जमा नहीं करना धोर अनियमितता का धोतक हैं। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में सिर्फ इतना लिखा गया कि उक्त आपत्ति के संबंध में कार्रवाई की जा रही हैं।

अतः उक्त रू0 250697.00 कोषागार के सम्बन्धित शीर्ष में अविलम्ब जमा करते हुए वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय। तथा इस तरह की अनियमितता की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उच्चाधिकारीयों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं। कृत कार्रवाई एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(ख) रू0 729000.00 कोषागार में जमा करने योग्य :–

सहायक रोकड़ पंजी विविध के जाँच में पाया गया कि जिला पदाधिकारी सारण द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए चेक सं0 873625 से रू0 729000.00 प्राप्त हुआ था। जिसे SBI के खाता सं0 30345301059 में जमा किया गया एवं रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में दिनांक 3.9.2008 को दिखाया गया हैं।

उपरोक्त राशि किस भूमि अधिग्रहण के लिए जिला पदा0 द्वारा भेजी गयी थी और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई हैं। अंकेक्षण के समक्ष इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है अंकेक्षण के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त राशि वर्ष 2008–09,09–10, 10–11, 11–12 तक व्यय की हुई नहीं पायी गयी। पुनश्य जाँच में पाया गया कि विचलन कर अग्नि कांड मे रू0 (4200+33600+54600+50400+8400+58800) = 21000.00 वर्ष 2012–13 मे व्यय कर दिया गया जो वित्तीय नियमावली का धोर उल्लंधन हैं।

अतः वर्ष 2008–09 में प्राप्त की गई राशि को 2012–13 तक रखा जाना। वर्ष 2012–13 में विचलन कर रू0 215000.00 व्यय किया जाना तथा राशि से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जान घोर अनियमितता का धोतक हैं। अतः रू0 210000.00 विनियमितिकरण करते हुए व्यय नहीं होने योग्य राशि रू0 729000.00 अविलम्ब कोषागार में जमा किया जाय साथ ही साथ उपरोक्त विचलन एवं इतनी बड़ी राशि का इतने दिनों तक निष्क्रिय रखने पर संबंधित दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है कि गई कार्रवाई एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

इसप्रकार उप कंडिका क+ख=250697+729000= रू0 979697.00 कोषागार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाय। प्रतिधारण से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत करा।

(10) कुल रू0 25032500.00 का व्यय आपत्ति के अन्तर्गत :–

(क) रू0 18832500.00 के भुगतान में अनियमितता की संभावना व्यय आपत्ति के अन्तर्गत :–

शीर्ष 2245 बाढ़ एवं सहाय्य के सहायक रोकड़ पुस्त में दिनांक 9.6.12 को रू0 3037500.00 का भुगतान पंचायतवार दर्शाया गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 250 रू0 नगद एवं 100 kg गेहूँ प्राप्त किया दर्शाया गया हैं। अतः

3037500／250 = 12150 व्यक्तियों को भुगतान 100 kg के साथ किया गया हैं। गेहूँ का मूल्य 1300／क्वींटल हैं। कुल रू0 12150X1300 = रू0 15795000.00 रू0 15795000.00 के मूल्य के गेहूँ का भुगतान किया गया है अर्थात नकद राशि सहित कुल भुगतान रू0 3037500+15795000 = 18832500 रू0 किया गया। पंचायत भुगतान विवरणी निम्न प्रकार हैं।

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	भुगतान किए गए सदस्यों की सं0	प्रति सदस्य भुगतान किया गया नगद	प्रति सदस्य भुगतान किया गया गेहूँ	अभ्युक्ति
1	रामापुर आमी	3421	250	100 kg	गेहूँ का मूल्य 13 kg
2	अकीलपुर	3015	250	100 kg	
3	झौआ	1399	250	100 kg	
4	बरूआ	1403	250	100 kg	
5	नगर पंचायत	2912	250	100 kg	
6	योग	12150	12150x250	12150x1300	
	किया गया कुल भुगतान		3037500.00	15795000	

अतः 3037500+15795000=रू018832500.00 का भुगतान हुआ।

उपरोक्त किए गए भुगतान में आपत्ति के माध्यम से सरकारी आदेश लाभार्थी को भुगतान प्रमाणित करने के लिए पंचायत के अनुश्रवण समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की सूची एवं अन्य सूची से संबंधित अभिलेख जिसके आधार पर भुगतान किया गया की माँग की गई परन्तु अभिश्रव के अलावा कुछ भी अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा कई व्यक्तियों का भुगतान प्राप्त किया गया था। जिनके द्वारा अंगूठा का निशान लगाया गया था उस पर कोई प्रमाण पत्र अंकित नहीं पाया गया। प्राप्ति रसीद पर कोई तिथि अंकित नहीं पायी गयी। उदाहरण के तौर पर कुछ के नाम अंकित किए गए है जिनका भुगतान दूसरे व्यक्ति ने प्राप्त किया है तथा अंगूठे के निशान पर प्रमाण पत्र अंति नहीं है। सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "च" पर अंकित हैं। जिसका अवलोकन किया जा सकता हैं।

अतः सुझाव दिया जाता है कि विभागीय स्तर पर जाँच कमिटी बनाकर जाँच करा ली जाय कि सही लाभार्थियों को राशि प्राप्त हुई या नहीं। क्योकि इतनी बड़ी राशि के भुगतान केवल अभिश्रव के अलावा अन्य किसी भी तरफ के अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष नहीं उपलब्ध कराया जाना आपत्ति की मूल प्रति नही लौटान तथा अभिश्रव में उपरोक्त गड़बड़ी पाये जाने के कारण राशि के अनियमित व्यय की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जब तक विभागीय स्तर पर इसकी जाँच नहीं करा ली जाती है तब तक उपरोक्त भुगतान रू0 3037500.00 एवं गेहूँ के मद में 12150 किवंटल गेहूँ अर्थात 5795000 अर्थात कुल रू0 18832500.00 के व्यय को आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता हैं।

(ख) रू0 6200000.00 के भुगतान के अधूरे अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के कारण पूर्ण जाँच मुकम्मल नहीं राशि आपत्ति के अन्तर्गत :–

सहायक रोकड़ पुस्त निःसहाय एवं विकलांग मद के जाँच में पाया गया कि समाहर्त्ता सारण के ज्ञापांक 495/आ0 प्र0 दिनांक 28.12.10 के द्वारा मुख्य बजट शीर्ष 2245 निःसहाय एवं विकलांग के अन्तर्गत नगद अनुदान मद में मो0 6237000.00 का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध विपत्र सं0 52/10–11 से 1000000.00 53/10–11 से 2000000.00 तथा 54/10–11 से 3200000.00रू0 की निकासी की गई जो सहायक रोकड़ पुस्त के पृष्ठ 3 पृष्ठ 4 दिनांक 13.1.11 पृष्ठ 4, दिनांक – 19.1.11 एवं पृष्ठ–5, दिनांक– 22.1.11 पर क्रमशः आय पक्ष में दर्ज हैं। सहायक रोकड़ पुस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। पूरी राशि रू0 6200000.00 का व्यय वर्ष 2011–12 में दिनांक 27.12.11 को दर्शायी गयी हैं। उपरोक्त राशि के व्यय सम्बन्धी कोइ्र दिशा निर्देश से सम्बन्धित सरकारी पत्र में प्रस्तुत नही किया गया यहाँ तक कि समाहर्त्ता के ज्ञापांक 495/आ0 प्र0 दिनांक 28.12.10 भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे से पता चल सके कि उपरोक्त राशि के आवंटन उद्वेश्य क्या था। सहायक रोकड़ पुस्त में व्यय का पूर्ण व्यौरा निमनवत दर्ज पाया गया।

क्र0 सं0	पंचायत का नाम	क्रमांक	कुल व्यय
1	अकीलपुर	1 से 1268 तक	749850.00
2	कुरैया	1 से 1029 तक	650150.00
3	झौआ	1 से 783 तक	460000.00
4	रामपुर आयी	1 से 1349 तक	800000.00
5	हराजी	1 से 1211 तक	71500.00
6	शीतलपुर	1 से 1183 तक	700000.00
7	बरूआ	1 से 845 तक	500000.00
8	बस्ती जलाल	1 से 836 तक	500000.00
9	त्रिलोकचन	1 से 886 तक	525000.00
10	मानपुर	1 से 1008 तक	600000.00
		कुल व्यय –	6200000.00

इस प्रकार वर्ष 10–11 में पैसे की निकासी कर रखलेना और उस वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं करना धोर अनियमितता हैं। यदि व्यय उस वित्तीय वर्ष में नही हो सका तो उपरोक्त राशि कोषागार में उसी वित्तीय वर्ष में जमा कर दी जानी चाहिए थी। यही साथ उपरोक्त राशि रू0 6200000.00 के व्यय के सम्बन्ध में। अंकेक्षण के समक्ष सिर्फ अभिश्रव प्रस्तुत करना परन्तु व्यय किस आदेश के तहत हुआ तथा भुगतान का आधार तथा कितनी राशि प्रति व्यक्ति देय था। ज्ञात नहीं हो सका। साथ ही साथ पंचायत में भुगतान के लिए पंचायत के अनुश्रावण समिति के द्वारा जारी की गयी सूची भी उपलब्ध नहीं कराये जाने से उपरोक्त रू0 6200000.00 के भुगतान के प्रामाणिकता की जाँच नहीं की जा सकी।

अतः विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि विभागीय स्तर पर भुगतान के प्रमाणिकता की जाँच करा ली जाय कि उपरोक्त भुगतान किस आदेश के तहत हुआ और उचित लाभार्थियों को उसका भुगतान मिला या नहीं। तबतक उपरोक्त राशि रू0 6200000.00 (बासठ लाख) को आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता हैं। इस तरह उपर्युक्त उप कंडिका "क" एवं "ख" में अंकित कुल राशि रू0 25032500.00 (188325.00+6200000.00) के भुगतान का वास्तविकता की जाँच सरकारी निर्देश के आलोक में किया जाए। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित रकम के दुर्विनियोग के विरूद्ध आवश्यक /विधि सम्मत कारवाई अपेक्षित होगा। तत्काल रू0 25032500.00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता हैं।

(11) भुगतान सम्बन्धी अभिलेखों के अभाव में रू0 8500.00 का भुगतान आपत्ति के अन्तर्गत

शीर्ष 2029 L.R (R.T.P.S) के सहायक रोकड़ पंजी के अभिश्रव की जाँच में पाया गया रू0 8500.00 का भुगतान विभिन्न अभिश्रवों के द्वारा दिनांक 25.2.12 को किया गया है परन्तु किसी भी अभिश्रव पर भण्डार पंजी प्रविष्टि का कोई भी जिक्र नहीं है और अंकेक्षण के समक्ष भण्डार पंजी भी नहीं उपलब्ध कराया गया साथ ही नहीं कोई अभियाचना पत्र और नहीं सामानों के वितरण सम्बन्धी कोई अभिलेख उपलब्ध कराया गया। अतः उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में भुगतान के प्रामाणिकता की जाँच नहीं की जा सकी। रू0 8500.00 का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "छ" पर अंकित हैं।

अतः उच्चाधिकारीयों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव किया जाता है कि उपरोक्त भुगतान के वास्तविकता की जाँच अपने स्तर से की जाय तबतक उक्त राशि रू0 8500.00 के भुगतान को आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता हैं। अन्यथा की स्थिति में तदनुसार कारवाई अपेक्षित हैं।

(12) अभिलेखों के अभाव में रू0 20326.00 का भुगतान आपत्ति के अन्तर्गत :-

वर्ष 2011-12 के अभिश्रव की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 40/11-12 से रू0 20326.00 की निकासी की गई जिसे शीर्ष 2029 रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में दिनांक 21.2.2012 को दर्ज किया गया तथा व्यय पक्ष में भी उसी तिथि 21.2.2012 ही दर्ज किया हुआ पाया गया। उपरोक्त पूरी राशि रू0 20326.00 का व्यय डीजल खरीद पर की गई थी। पूर्ण विवरण डीजल परिशिष्ट "ज" पर अंकित हैं। अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अभिश्रवों पर गाड़ी संख्या दर्ज नहीं पायी जिससे पता चल सके कि किस गाड़ी के लिए डीजल खरीदी गयी। गाड़ी का जो लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया उस लॉग बुक पर भी कोई गाड़ी संख्या दर्ज नही पायी गयी। निर्गत आपत्ति के अनुपालन का जबाब भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही अलग से कोई भुगतान आदेश नहीं उपलब्ध कराया गया।

अतः उपरोक्त भुगतान रू0 20326.00 के प्रामाणिकता की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त भुगतान की जाँच विभागीय स्तर पर करायी जाय। यदि भुगतान की प्रमाणिकता नहीं यही पायी जाती हैं। तो भुगतान दुर्विनियोग की श्रेणी

में रखा जायेगा। और दोषी व्यक्ति पर विधि सम्मत कारवाई का प्रश्न बनता हैं। जाँच के परिणाम तक भुगतान आपत्ति अंतर्गत रखा जाता हैं।

(13) रू0 70000.00 के निकासी का सत्यापन बैंक से नहीं किया जा सका राशि आपत्ति के अन्तर्गत :–

कोषागार से दिधवारा अंचल के डी0 डी0 ओ0 कोड आर0 ई0 वी0 031 से निकासी की गई राशि के सत्यापन में पाया गया कि वर्ष 11–12 में रू0 70000.00 की निकासी की गई जिसका विवरण कोषागार सिड़यूल में निम्नवत हैं।

टोकन नं0	बिल नं0	तिथि	टि0 भी0 नं0	शीर्ष	विपत्र की राशि	भुगतान की गई राशि
2812.03. 2652	110615590	15.3.12	–	2029	70000.00	70000.00

परन्तु जाँच में विपत्र पंजी में इसे दर्ज नहीं किया हुआ पाया गया। इस संबंध में आपत्ति निर्गत की गई थी जिसके अनुपालन में कहा गया कि बैंक से सत्यापित करने के पश्चात् सूचित किया जायेगा। अंकेक्षण स्तर पर अथक प्रयास किया गया परन्तु बैंक से सत्यापन नहीं किया जा सका।

अतः विभागीय स्तर पर सुझाव दिया जाता है कि उक्त मामले को बैंक से सत्यापित कर इसकी समाधान कर लिया जाय अन्यथा की स्थिति में इसे गबन की संज्ञा दी जा सकती हैं। तथा तदनुसार कारवाई अपेक्षित हैं।

(14) आमी मेला की बन्दोबस्ती कम राशि में होने के फलास्वरूप रू0 864658.00 के राजस्व की संभावित क्षति :–

सैरात बन्दोबस्ती के जाँच में पाया गया कि आमी मेला के बन्दोबस्ती में वर्ष 2008–09 के बाद से लगातार राजस्व की क्षति हो रही हैं। वर्ष 2008–09 के बन्दोबस्ती में सुरक्षित जमा राशि मात्र रू0 87159.00 रखी गयी थी परन्तु उसकी बन्दोबस्ती रू0 390200.00 पर हुई थी और उतना पैसा जमा भी किया गया था। परन्तु वित्तीय वर्ष 09–10 में सुरक्षित जमा राशि रू0 162159.00 रखी गयी थी परन्तु बन्दोबस्ती मात्र रू0 173500.00 में हुई इस प्रकार 08–09 के मुकाबले 390200–173500= 216700.00 रू0 कम में बन्दोबस्ती हुई। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष सुरक्षित राशि रू0 162159.00 के आसपास ही बन्दोबस्ती हुई। अंकेक्षण आपत्ति के जबाब में बताया गया कि अपर समाहर्त्ता द्वारा बन्दोबस्ती की जाती है तथा डाक में भाग लेने वालों की संख्या नगण्य रहती हैं। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2008–09 की बन्दोबस्ती से बाद की बन्दोबस्ती में बढ़ोतरी होनी चाहिए न की कमी। विभागीय स्तर पर इसके कारण का पता लगया जाना चाहिए। वर्ष 2008–09 के मुकाबले वर्ष 2012–13 तक हुये संभावित राजस्व की क्षति का विवरण निम्नवत् हैं।

वित्तीय वर्ष	बन्दोबस्ती की राशि	राजस्व की क्षति
2008–09	390200.00	00.00
2009–10	173500.00	21670.00
2010–11	174000.00	216200.00
2011–12	162159.00	228041.00
2012–13	186483.00	203717.00
	योग –	864658.00

इस प्रकार आमी मेला की बन्दोबस्ती में वर्ष 09–10 से 2012–13 तक 2008–09 के मुकाबले कुल रू0 864658.00 के राजस्व की संभावित क्षति हुई। यह पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही संभावित मिली भगत एवं विफलता का घोतक हैं। विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए यथोचित कार्रवाई का सुझाव दिया जाता हैं।

(15) डाक नहीं किये जाने के कारण रू0 28680.00 के राजस्व की क्षति :–

सैरात पंजी के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में झौआ बाजार के लिए सुरक्षित राशि रू0 13340.00 रखी गयी थी। परन्तु बन्दोबस्ती नहीं की गई थी।फिर वर्ष 2012–13 में सुरक्षित राशि रू0 15340.00 रखी गयी थी परन्तु बन्दोबस्ती नहीं की गई। सैरात पंजी में झौआ बाजार के आगे सिर्फ यह लिखा हुआ पाया गया कि डाक में सुरक्षित राशि अधिक होने के चलते लोगों ने भाग नहीं लिया। यदि 2011–12 में ऐसा था तो 2012–13 में सुरक्षित राशि बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी। अंकेक्षण के समक्ष डाक की प्रक्रिया सम्बन्धी कोई संचिका अंकेक्षण के समक्ष नहीं उपलब्ध करायी गयी। इसलिए डाक की भी गयी कारवाई से अंकेक्षण अनभिज्ञ रहा।

इस प्रकार वर्ष 2011–12 एवं 12–13 में क्रमशः रू0 13340+रू0 15340.00 = 28680.00 के राजस्व की क्षति हुई। विभागीय स्तर पर वास्तविकता की जाँच कर तदनुसार यथोचित कार्रवाई अपेक्षित हैं।

(16) अग्रिम की कुल राशि रू0 233755.00 असमायोति समायोजन का सुझाव :–

वर्ष 2011–12 एवं 12–13 के अग्रिम पंजी के जाँच में पाया गया कि अंचल कार्यालय द्वारा विभिन्न कर्यो हेतु उक्त वित्तीय वर्ष 11–12,12–13 में विभिन्न कर्मचारियों जिसमें से कुल रू0 233755.00 समायोजन हेतु लम्बित अद्यतन असमायोजित पायी गयी। अग्रिम राशि की पूर्ण विवरणी निम्नवत् हैं।

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अग्रिम की राशि	समायोजित राशि	असमायोजित राशि
1	श्री अशोक कुमार पंचायत सचिव	298982.00	225750.00	73232.00
2	श्री सोहराव अली राजस्व कर्मचारी (रमैया)	371073.00	349750.00	21323.00
3	श्री नन्द किशोर	755635.00	728000.00	27635.00

	यादव राजस्व कर्मचारी (न0 पं0)			
4	श्री राम विचार सिंह राजस्व कर्मचारी (वरूआ)	363910.00	350750.00	13160.00
5	श्री सुरेन्द्र सिंह राजस्व कर्मचारी (आसी)	907655.00	855250.00	52405.00
6	श्री अयोध्या नाथ शुक्ल अंचलाधिकारी 13.3.12	20000.00	00	20000.00
7	श्री सत्य प्रकाश नाजिर दिनांक 19.8.11	25000.00	00	25000.00
8	श्री हरेन्द्र माँझी (जीप चालक) दिनांक– 21.8.12	1000.00	00	1000.00
			योग–	233755.00

इस प्रकार दिए गए नाम के सामने अंकित कुल रू0 233755.00 अद्यतन असमायोजित हैं। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि कर्मचारियों को पत्र दिया गया हैं। अनुपालन असंतोषप्रद हैं।

अतः रू0 233755.00 का समायोजन जल्द से जल्द कर लिया जाय अन्यथा की स्थिति उपरोक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जाय की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

भाग–3
सुझावात्मक

(17) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :–

(i) कोषगार संहिता भाग–1 नियम 300 का पालन किया हुआ नहीं पाया गया। इस नियम के दृढ़ता से पालन पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(ii) कोषागार संहिता भाग–1 नियम 86 का पालन किया हुआ नहीं पाया गया इस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाय।

(iii) प्रत्येक माह की 30 तारीख को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नगदी का जाँच कर प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा किया हुआ नहीं पाया गया।

(iv) स्थायी सामानों का प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन कर कार्यालय में प्रमाण पत्र रखा जाय परन्तु अंकेक्षण में स्थायी सामानों की सूची नहीं प्रस्तुत की गई।

(v) पदाधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में रखा जाय साथ ही साथ कार्रवाई प्रतिवेदन भी संलग्न हैं।

(vi) सैरात की बन्दोबस्ती पर विशेष ध्यान देते हुए अवश्य कराया जाय ताकि राजस्व की क्षति न हो।

(vii) लगान वसूली की जाँच अंचलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जाय तथा राजस्व कर्मचारी से वसूली गई राशि ससमय सरकारी कोष में जमा कराया जाय।

17/03/16

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1) मो0 ओबैदुल्लाह जावेद, व0 अं0–2

~~(2)~~

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1'ट' से संबंधित प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों के सूची :–

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

1. विपत्र पुस्त – 2011–12 एवं 2012–13
2. सामान्य रोकड़ पुस्त – 2011–12 एवं 2012–13
3. सहायक रोकड़ पुस्त – 2011–12 एवं 2012–13 शीर्ष 2029 (भू–राजस्व)
4. सहायक रोकड़ पुस्त – 2011–12 एवं 2012–13 शीर्ष 2055 (पुलिस)
5. सहायक रोकड़ पुस्त – 2011–12 एवं 2012–13 शीर्ष 2245 (सहाय्य)
6. सहायक रोकड़ पुस्त – 2011–12 एवं 2012–13 शीर्ष विविध
7. अग्रिम पंजी – 2011–12 एवं 2012–13
8. सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 0029 (भू–राजस्व)
9. वेतन भुगतान पंजी – भूराजस्व 2029
10. वेतन भुगतान पंजी – 2055 (पुलिस) चौकीदार दफादार
11. लगान रसीद वही 3A,3AA, 2011.12 एवं 2012–13 हल्का सं0 01 से 07 तक।
12. नाजीर रसीद वही 2011–12 एवं 2012–13
13. सैरात पंजी एवं अभिलेख वर्ष 2011–12 एवं 2012–13
14. सेवा पुस्त आंशिक
15. आमी मेला से संबंधित अभिश्रव
16. लगान रसीद वहीं का भण्डार पुस्त

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. भण्डार पुस्त
2. हल्का सं0 8 का लगान रसीद, पंजी 3A,3AA
3. कर्मचारी की निजी संचिका एवं सेवा पुस्त
4. अस्थायी अग्रिम की विवरणी
5. वेतन भुगतान में बकाया भुगतान विवरण वर्ष 2011–12 एवं 12–13
6. स्थानान्तरित कर्मचारियों की L.P.C
7. बाढ़ एवं सहाय्य मद में व्यय की गई राशि से संबंधित संचिका
8. निःसहाय्य एवं विकलांग मद में व्यय से संबंधित संचिका

<u>परिशिष्ट 'ख' कंडिका 2–4 से संबंधित</u>
<u>आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2011–12 D.P.O code REV</u>- 031

क्र0 सं0	शीर्ष मद का नाम	आवंटन	व्यय	अन्तर	प्रत्यार्पित	अभ्युक्ति
1	2029 भू–राजस्व					
	वेतन	2770757	2768077	2680	2680	प्रत्यार्पण प्रतिर्वद्ध सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।
	जी0 या0 भत्ता	1156830	1156830	00	00	
	वर्दी	5000	00	5000	5000	
	कार्यालय व्यय	18000	18000	00	00	
	यात्रा भत्ता	10000	10000	00	00	
	वाहन ईंधन	25000	25000	00	00	
	रख रखाब					
	योग–	3985587	3977907	7680	7680	
2	2055					
	वेतन	2717759	4401178	1053	1053	
	जी0 या0 भत्ता	1483384	–	–	–	
	म0 भ0	138606	–	–	–	
	चि0 भत्ता	62482	–	–	–	
	योग –	4402231	4401178	1053	1053	
3	बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011शीर्ष 2029	78500	78500	00	00	
4	2245	318000	315000	3000	3000	

परिशिष्ट 'ख' कंडिका 2–4 से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी 2012–13
अंचल कार्यालय दिघवारा D.D.D-Code- REV-031

क्र0 सं0	शीर्ष	आवंटन	व्यय	अन्तर	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	2029 भू0 राजस्व	4672753 10520	4585030 00	87723 10520	87723 10520	प्रत्यार्पण प्रतिवेदन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	2055 पुलिस	6116190	5918912	197278	197278	
3	2245 सहाय्य	249500 68500	247800 00	1700 68500	1700 68500	
4	2235 शीता पहर	15000	15000	00	00	
5	2070	500	00	00	500	
6	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011,2029	80000	80000	00	00	

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 3(i) से संबंधित
माँग एवं संग्रहीत राशि की विवरणी
वित्तीय वर्ष 2011–12

क्र0 सं0	मद का नाम	राजस्व संग्रहण हेतु लक्ष्य			राजस्व संग्रहण वर्ष 2011–12राशि			अवशेष राशि		
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग
1	माल	54506.52	168602.33	223108.85	54506.52	92753.48	147260.00	00	75848.25	75848.85
2	शेष	68270.70	127352.42	195623.12	22180.00	14619.00	36799.00	46090.70	112733.42	158864.12
3	शिक्षा शेष	136775.95	195054.00	331830.00	44252.00	29416.00	73668.00	92523.95	165638.05	258162.00
4	स्वास्थ शेष	136775.95	195054.05	331830.00	44252.00	29416.00	73668.00	92523.95	165638.05	258162.00
5	कृषि शेष	43371.54	113655.87	157027.38	13998.00	10387.00	24385.00	29373.54	103268.84	132642.38
6	कुल योग	439700.65	799718.69	1239419.35	179188.52	176591.48	355780.00	260511.51	623127.21	883678.72
7	सैरात बन्दोबस्ती						164159.00			
8	स्ट्राम्प एवं निबंधन शुल्क						00.00			
9	कुल योग						519939.00			

वसूली का प्रतिशत – 80.91 %

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 3(i) से संबंधित
माँग एवं संग्रहीत राशि की विवरणी
वित्तीय वर्ष 2012–13

क्र0 सं0	मद का नाम	राजस्व संग्रहण हेतु लक्ष्य			राजस्व संग्रहण वर्ष 2011–12राशि			अवशेष राशि		
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग
1	माल	75849	590454	666303	53946	92106	146052	21903	498348	520251
2	शेष	158863	147614	306477	22987	14750	37737	135876	132864	268740
3	शिक्षा शेष	258162	309988	568150	44469	29442	73911	213693	280546	494239
4	स्वास्थ शेष	258162	309988	568150	42449	28696	71145	215713	281292	497005
5	कृषि शेष	132642	118090	250732	28798	11336	40134	103844	106754	210598
6	कुल योग	883678	1476134	2359812	192649	176330	368979	691029	1299804	1990833
7	सैरात बन्दोबस्ती						186483.00			
8	स्ट्राम्प एवं निबंधन शुल्क						18648.00 2000.00			
9	कुल योग						576110.00			

वसूली का प्रतिशत – 15.63 %

परिशिष्ट 'घ' कंडिका –4 से संबंधित
स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूची :–
अंचल कार्यालय दिघवारा :–

पदों के नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
अंचल अधिकारी	1	1	–
अंचल निरीक्षक	1	1	–
सहायक	7	4	3
राजस्व कर्मचारी	9	6	3
अंचल अमीन	1	–	1
चेन मैन	1	–	1
जीप चालक	1	–	1
अनुसेवी	5	2	3
चौकीदार	40	29	11
दफादार	4	–	4

परिशिष्ट "च" कंडिका –10(क) से संबंधित
पंचायत रामपुर आमी में किए गए अनियमित भुगतान की विवरणी :–

अभिश्रव क्र0 सं0	क्रम सं0	लाभर्थी का नाम	लाभार्थी के पिता का नाम	प्राप्त किए गए गेहूँ	गेहूँ का मूल्य	प्राप्त किया गया नगद	प्राप्तकर्त्ता का नाम
1	1	श्री बालेश्वर सिंह	स्व0 रामेश्वर सिंह	100 kg		250.00	चन्दन कुमार सिंह पुत्र
2	2	श्री विनोद कुमार सिंह	स्व0 जगत नारायण सिंह	100 kg		250.00	आलोक सिंह पुत्र
3	3	श्री बाल मुनि कुंवर	स्व0 जगत नारायण सिंह	100 kg		250.00	आलोक सिंह पुत्र
4	4	श्री शिव पूजन सिंह	स्व0 राम बढ़ाई सिंह	100 kg		250.00	अशोक कुमार
7	5	श्री पंच देव साह	स्व0 बाली साह	100 kg		250.00	जय कुमार साह
8	6	श्री हरी लाल साह	स्व0 बालजी साह	100 kg		250.00	मंजीत कुमार साह, पुत्र
9	7	श्री अखिलेश्वर साह	स्व0 बाली साह	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान जिस पर नाम अंकित नहीं।
10	8	श्री सुदर्शन साह	स्व0 बांली साह	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
11	9	श्री पवन कुमार साह	पंच देवा साह	100 kg		250.00	जय कुमार साह
13	10	श्री राय वचन साह	घठी लाल साह	100 kg		250.00	मंजीत कुमार साह
14	11	श्री शिव वचन साह	घठी लाल साह	100 kg		250.00	मंजीत कुमार साह
15	12	श्री शशि रंजन साह	अखिलेश्वर साह	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं।
16	13	श्री सुनील साह	अखिलेश्वर साह	100 kg		250.00	प्रियांक कुमारी
17	14	श्री भूषण साह	सुदर्शन साह	100 kg		250.00	शशि भूषण साह
18	15	श्री जगलाल राय	स्व0 वृहात्पति राय	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
19	16	श्री कुशेश्वर साह	सुदर्शन साह	100 kg		250.00	शशि भूषण साह, भाई

20	17	श्री दामोदर साह	स्व0 मुनर साह	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
23	18	श्री उमेश साह	भुलेश्वर साह	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
21	19	श्री शिवनारायण साह	पँाचू साह	100 kg		250.00	राज कुमार साह
24	20	श्री कान्ति देवी	स्व0 भूलेश्वर साह	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
25	21	श्री शिव जी साह	"	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
26	22	श्री सत्यदेव साह	स्व0 अशर्फी साह	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
27	23	श्री संजय साह	सुखनन्दन साह	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
28	24	श्री संजीव कुमार साह	"	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
29	25	श्री सुखनन्द साह	डॉ आशर्फी साह	100 kg		250.00	अंगूठे का निशान नाम प्रमाणित नहीं
30	26	श्री नन्द शर्मा	स्व0 नागा आशर्फी	100 kg		250.00	राम कुमार शर्मा
36	27	श्री राम बालक शर्मा	स्व0 सीता शर्मा	100 kg		250.00	मिन्टु कुमार शर्मा
43	28	श्री मनोहर शर्मा	जुली शर्मा	100 kg		250.00	कुन्दन शर्मा
44	29	कामता शर्मा	स्व0 बनारसी शर्मा	100 kg		250.00	रामनान्द शर्मा
47	30	लाल बाबू शर्मा	राम नाथ शर्मा	100 kg		250.00	मुकेश कुमार शर्मा
				3000 kg		7500.00	

इस तरह की गड़बड़ी में राशि वसूली योग्य हो सकती हैं। अतः अलग से जाँच आवश्यक है एवं संबंधित दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई अपेक्षित हैं। इसमें पदाधिकारीयों के मिली भगत से इन्कार नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट 'छ' कंडिका –11 से संबंधित
अभिलेखों के प्रभाव में पूर्ण जाँच नहीं कुल रू0 8500.00 आपत्तिअन्तर्गत :–

क्रम सं0	विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	अभिश्रव के दुकान का नाम	सामग्री	राशि
1	41/11–12	153	राकेश पुस्तक भवन दिघवारा	सेन्चुयरी रीप	1350.00
2	41/11–12	154	जगदम्बा इलेक्ट्रीक	थ्रीपीन सॉकेट	2180.00
3	41/11–12	155	राकेश पुस्तकालय दिद्यवारा	सेन्चुयरी का मूल्य	260.00
4	41/11–12	156	"	"	1350.00
5	41/11–12	157	"	"	600.00
6	41/11–12	158	"	"	60.00
7	41/11–12	159	"	"	1350.00
8	41/11–12	160	"	"	1350.00
				कुल योग –	8500.00

परिशिष्ट 'ज' कंडिका –12 से संबंधित
अभिलेखों के प्रभाव में पूर्ण जाँच नहीं कुल रू0 20326.00 आपत्तिअन्तर्गत

क्र0 सं0	विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	पेट्रोल पम्प का नाम	ईंधन	राशि
1	40/11–12	114	केदार महाराज दिधवारा	डीजल 20 ली0	796.00
2	''	115	''	डीजल 10 ली0	434.00
3	''	116	''	डीजल 20 ली0	868.00
4	''	117	''	डीजल 20 ली0	868.00
5	''	118	''	डीजल 20 ली0	868.00
6	''	119	''	डीजल 20 ली0	868.00
7	''	120	''	डीजल 5 ली0	217.00
8	''	121	''	डीजल 10 ली0	434.00
9	''	122	''	डीजल 10 ली0	434.00
10	''	123	''	डीजल 10 ली0	434.00
11	''	124	''	डीजल 5 ली0	217.00
12	''	125	''	डीजल 10 ली0	434.00
13	''	126	''	डीजल 10 ली0	434.00
14	''	127	''	डीजल 5 ली0	217.00
15	''	128	''	डीजल 15 ली0	651.00
16	''	129	''	डीजल 10 ली0	434.00
17	''	130	''	डीजल 10 ली0	434.00

18	"	131	"	डीजल 10 ली0	434.00
19	"	132	"	डीजल 20 ली0	868.00
20	"	133	"	डीजल 10 ली0	434.00
21	"	134	"	डीजल 10 ली0	434.00
22	"	135	"	डीजल 20 ली0	868.00
23	"	136	"	डीजल 10 ली0	434.00
24	"	137	"	डीजल 10 ली0	434.00
25	"	138	"	डीजल 15 ली0	651.00
26	"	139	"	डीजल 15 ली0	651.00
27	"	140	"	डीजल 10 ली0	434.00
28	"	141	"	डीजल 10 ली0	434.00
29	"	142	"	डीजल 10 ली0	434.00
30	"	143	"	डीजल 15 ली0	651.00
31	"	144	"	डीजल 15 ली0	651.00
32	"	145	"	डीजल 10 ली0	434.00
33	"	146	"	डीजल 10 ली0	434.00
34	"	147	"	डीजल 10 ली0	434.00
35	"	148	"	डीजल 15 ली0	651.00
36	"	149	"	डीजल 5 ली0	217.00
37	"	150	"	डीजल 15 ली0	651.00

38	''	151	''	डीजल 10 ली0	434.00
39	''	152	''	डीजल 5 ली0	217.00
				योग–	20326.00